न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 42/2018

अनवान :–

रणजीतराम पुत्र पाबुराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा, जिला बीकानेर

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर
2. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर

रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से – श्री जयचन्दलाल सारस्वत अधिवक्ता
2. स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
3. रेस्पो.सं. 2 की ओर से – श्री दिनेश गहलोत अधिवक्ता

–::निर्णय::– दिनांक 27.02.2020

1. अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार (राजस्व) नोखा के आदेश दिनांक 11.09.2018 खिलाफ कानून, रूहेदाद मिसल, एकतरफा तौर पर अपीलान्ट को बिना सुने क्षेत्राधिकार के बाहर पारित होने के कारण स्वतः शुन्य है, जिसे निरस्त फरमावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड प्राप्त किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत अधिवक्ता द्वारा केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई। तदन्तर मामले में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के बिन्दुओं को दौहराते हुवे निवेदन किया कि जैर अपील रकबा वाके रोही ग्राम सलूण्डिया के खेत खसरा नम्बर 2055/732 तादादी 0.04 हैक्टर अपीलान्ट के मूल खातेदारी खसरा नम्बर 732 तादादी 4.05 हैक्टयर का ही भाग है। जिसके बाबत उपखण्ड अधिकारी नोखा ने दिनांक 26.8.15 को विधि विरूद्ध तरीके से धारा 251(क) आर.टी. एक्ट के तहत रास्ता स्वीकृत कर दिया था जिसके खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में अपील पेश होने पर दिनांक 17.11.17 को उक्त 26.08.15 के आदेश को निरस्त फरमाया गया इसके दौरान हल्का पटवारी की मिली भगती से रिकार्ड में रास्ते का अमल दरामद गैर मु. खसरा नम्बर 2055/732 तादादी 0.04 हैक्टर कायम कर दिये गये जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपने पुराने वैकल्पिक रास्ता जो रामलाल पुत्र मानाराम जाट के खेत से आवाजावी कर रहे है। उक्त के पश्चात माननीय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 17.11.17 के खिलाफ राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश होने पर उक्त आदेश की पालना स्थगित रखी गई है, जिसका बेजा फायदा उठाकर अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

12.12.17 को तहसीलदार नोखा द्वारा निर्णय पारित कर कब्जा बहक सरकार लेने व तावान कायमी की गई जिसके खिलाफ न्यायालय हाजा में अपील संख्या 01/2018 उपरोक्त अनवानी पेश की हुई है जिसमें सभी पक्षकारान हाजिर अदालत आ चुके है, फिर भी जैर अपील आदेश के जरिये पुनः अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जैर अपील रकबा गैर मुमकीन रास्ता खसरा नं. 2055/732 तादादी 0.04 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है जिस पर पहले खिड़की लगा रखी थी जो रेस्पो. संख्या 2 चोरी करके ले गये जिसके खिलाफ फौजदारी कार्यवाही अलग से जैरकार है, खेत की सुरक्षा से पशुओ को रोकने हेतु ढेरी लगाई थी जिसे किनारे करके रास्ते का उपयोग हो रहा है, के अलावा रेस्पो. संख्या 2 जैर अपील रास्ते के बजाय नजदीकी रास्ता जो रामलाल जाट के खेत से उपयोग कर रहे है मात्र आपसी रंजिसवश झूठी कार्यवाही करके अपीलान्ट को तंग परेशान कर रहे है जबकि मौके पर जो रास्ता खुलवाया था वह आज भी चालू है पटवारी की गलत रिपोर्ट एवं पत्रावली में मौजूद रिकार्ड के प्रतिकूल पारित जैर अपील आदेश स्वतः शुन्य है। जैर अपील निर्णय में पीठासीन अधिकारी महोदय ने अपने निर्णय में लिखा है कि "माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकल पीठ द्वारा निगरानी संख्या 2017/689 सोपारी देवी बनाम रणजीतराम में दिनांक 22.11.17 को आदेश पारित कर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 17.11.17 को स्थगित कर दिया है अर्थात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का आदेश दिनांक 26.8.15 बहाल हो गया।" जो सारे तथ्य मिथ्या दर्ज है। राजस्व मण्डल में निगरानी आज भी विचाराधीन है मात्र पालना स्थगित की है। पीठासीन अधिकारी द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करते समय स्वस्थ चित से अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया है। जैर अपील रकबा गैर मु. रास्ता दर्ज है जो अपीलान्ट के खातेदारी खेत में से ही दर्ज किया गया है। इसलिए प्रथमतः रकबा आराजीराज नहीं होने से धारा 91 की कार्यवाही नहीं हो सकती है। द्वितीय गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खुलवाया गया था आज भी चालू है जिसे पटवारी रिपोर्ट पर बंदं होना बताकर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जो गलत है, यदि रास्ता फसल की सुरक्षा की दृष्टिकोण से ढेरी लगाने को रास्ता बंद होना माते है तो रास्ता खुलवाने की कार्यवाही की जा सकती है परन्तु पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाकर तीन माह की सिविल कारावास की सजा का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर की कार्यवाही है तथा प्रथम आदेश दिनांक 12.12.17 के खिलाफ विचाराधीन अपील संख्या 01/18 के रहते जैर अपील आदेश स्वतः निर्णय की परिभाषा में नहीं आने के कारण स्वतः शुन्य है। जैर अपील आदेश इकतरफा है जिसकी प्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 24.10.18 को अपने पुत्र मांगीलाल के जरिये हुई कि घर पर सिपाही ने आकर कहा कि तहसीलदार ने तीन महीने जेल में भेजने के वारन्ट आदेश पारित किये है तत्काल अपने वकील से सम्पर्क कर निर्णय की प्रमाणित नकल प्राप्त कर बिना कोई देरी किये जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। न्याय हित में कन्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद स्वीकार फरमावें। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावें तथा अन्य अनुतोष जो कानूनन देय है अपीलान्ट के पक्ष में प्रदान करें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का सलुण्डिया ने ग्राम सलुण्डिया की आराजीराज भूमि खसरा नम्बर 2055/732 रकबा 0.04 हैक्टयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर अवैध रूप से बाड़ बनाकर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । हल्का पटवारी ने यह भी उल्लेख किया कि अपीलान्ट ने पुनः अतिक्रमण किया है। जिस पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही की गई है। सायल ने जरिये नोटिस तलब किया गया। सायल की ओर से संतोषजनक जवाब पेश नहीं हुआ। अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी को शास्ति एवं 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। अतिक्रमी ने अभी तक गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण नहीं हटाया है। अपीलार्थी द्वारा आराजीराज खसरा नं. 2055/732 रकबा 0.04 हैक्टयर गैर मुमकीन रास्ते की भूमि पर नाजायज बाढ़ बनाकर अतिक्रमण कर रखा था। जिस पर आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। अपीलान्ट पर की गई कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार की गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

5. इसके विपरीत रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उसके खेत से आने जाने का रास्ता भू–प्रबन्ध से पहले से ही चला आ रहा हैं तथा भू प्रबंध के दौरान भी इसी रास्ते को लाल स्याही से डॉट डाट करके अंकित किया हुआ है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में त्रुटि वंश इस रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता अंकन नहीं किया गया है जो किया जाना चाहिए था। अतः मौके की स्थिति पर व्यवहारिकता को देखते हुवे अपीलान्टी को अतिक्रमी माना गया था। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पटवारी हल्का सलुण्डिया ने ग्राम सलुण्डिया के खसरा नम्बर 2055/732 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर अवैध रूप से बाड़ बनाकर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी ने यह भी उल्लेख किया कि अपीलान्ट ने पुनः अतिक्रमण किया है। जिस पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही की गई तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 11.09.2018 को निर्णय पारित इस आधार पर पारित किया गया है कि मुकदमा नम्बर 103/2017 निर्णय दिनांक 12.12.2017 की पालना में दिनांक 08.02.2018 को भू.अ. निरीक्षक सिंजगुरू द्वारा बेदखली की कार्यवाही करने के पश्चात् भी अपीलान्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में गैर मुमकीन रास्ता धारा 251 'ए' आरटीए के तहत स्वीकृत किया गया था। जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी जैरकार थी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित निगरानी का निर्णय दिनांक 12.12.2018 को हो चुका है जिसमें राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 17.11.2017 को यथावत रखा है। जिससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

नोखा के निर्णय दिनांक 26.8.2015 के द्वारा स्वीकृत रास्ता संबंधी निर्णय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 17.11.2017 द्वारा खारिज किये जाने तथा उसके विरूद्ध प्रस्तुत की गई गिनरानी माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 12.12.2018 को खारिज किये जाने के पश्चात् वर्तमान में गैर मुमकीन रास्ता स्वीकृत के आदेश निरस्त हो चुके है।

7. लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2018 का तीन माह को सिविल कारावास की सजा की हद तक अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(प.स्व. गौरी)
अति. जिला कलक्टर,(प्रशा.)
बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर